

81
8/1/18

Email-

अति० आवश्यक/ईमेल

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई/सीएस/विजाँ/संयुक्त-309/2018/ 42

दिनांक : 08/01/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति० आयुक्त, विभागीय जांच विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक पं.6(23)विजाँ/17 दिनांक 18.12.2017 के क्रम में।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय जांच विरुद्ध डॉ० ओ.पी. मायच, क०वि० एवं अन्य प्रकरण में चल रही विभागीय जांच में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को सुनवाई हेतु दिनांक 11.01.2018 को प्रातः 10.00 बजे शासन सचिवालय स्थित विभागीय जांच विभाग में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः जांच पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को दिनांक 10.01.2018 तक आवश्यक रूप से तामिल करवा कर तामिल रसीद प्राप्त कर भिजवावें तथा सभी सम्बन्धित को नियत तिथि पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करें।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर/हनुमानगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि डॉ. आर.एन. बंसल को उनके निवास पते पर तामिल करवा कर तामिल रसीद तत्काल भिजवावें।
4. प्रभारी अधिकारी, सीएचसी, लूणकरणसर (बीकानेर)/सीएचसी अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) को प्रेषित कर लेख है कि श्री रघुवीर सिंह एवं श्री धर्मवीर सिंह, क०सहायक को आवश्यक रूप से तामिल करावें।
5. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कार्यालय की ईमेल आईडी पर अपलोड करावें।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

राजस्थान सरकार
विभागीय जांच विभाग, राजस्थान, जयपुर
अनुवर्ती दिनांक की उपस्थित होने की सूचना



सेवा में,

श्री रघुवीर सिंह, कनिष्ठ लिपिक

द्वारा :- शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।

अतिरिक्त अभियोजक अधिकारी/नियम भंगकारी अधिकारी/साक्षी

चूंकि आप श्री डॉ. ओ.पी. महायच, कनिष्ठ विशेषज्ञ, सर्जरी, डॉ. हिमांशु कालरा, चिकित्सा अधिकारी, डॉ. रामजी लाल बंसल, चिकित्सा अधिकारी, डॉ. ए.डी.झारेड, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, श्री हनुमान प्रसार, कलेखाकार, श्री रघुवीर सिंह, कनिष्ठ लिपिक एवं श्री धर्मवीर सिंह कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच में (दिनांक) को उपस्थित नहीं हुए अथवा इस कार्यालय द्वारा यह विभागीय जांच स्थगित कर दी गई है। अतः आप आगामी श्रवण तिथि दिनांक 11.01.2018 को समय 10.00 ए.एम. पर जिसके लिए यह स्थगित कर दी गई है, निश्चित रूप से उपस्थित हों और जब तक अन्यथा आदेश नहीं दिया जावे बराबर उपस्थित होते रहें।

10/12/17
श्री डर
आयुक्त,
विभागीय जांच विभाग (द्वितीय)
जयपुर
शासन सचिवालय, जयपुर

प्रेषक संख्या प. 6(23) विजा/17
दिनांक 18.12.2017

कार्यालय आयुक्त विभागीय जांच, राजस्थान, जयपुर

..... की सेवा में इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि आह्वान की संलग्न प्रति सम्बन्धित व्यक्ति पर तामील की जाकर यह प्रति तामीली टिप्पणी के साथ लौटा दी जावे।

आयुक्त,
विभागीय जांच, राजस्थान,
जयपुर।